

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की स्वीकृति हेतु स्थायी प्रवर्धित इंटर महाविद्यालयों से प्राप्त अपील आवेदनों की सूची

Sl. No.	Name of Inter College	DISE Code	Inter College Category	Permanent Registration Letter No. & Date	Whether College Managing Committee Fully Constituted?	Student Details (2024-25)						Total No. of Student	Whether the College is run by Registered Society/Trust under Society Registration Act 1960 Article 21?	Total No. of Student Registered in Section 2033-24 for Intermediate Examination in Arts	No. of Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Total No. of Student Registered in Section 2033-24 for Intermediate Examination in Science	No. of Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Total No. of Student Registered in Section 2033-24 for Intermediate Examination in Commerce	No. of Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Amount Admissible on the basis of performance in Intermediate Exam and according to Chapter 3 subpara (iii) of Jharkhand State unaided educational Institutions (Grant) Act 2004 (On the basis of Dept. Letter 2021 dated 28.07.24)	Reason for not sanctioning Grant-in-Aid in Ist. Appeal for Financial Year 2024-25	Grounds of Appeal	Opinion of Scrutiny	Recommendation of Departmental Committee												
						Arts		Science		Commerce																													
						XI	XII	XI	XII	XI	XII																												
Palamu	Shahid Bhagat Singh Inter College, Japla, Palamu	20220437002	General	JAC/Col/Estt./02/86/07 dt: 24-04-07	Yes	341	231	512	512	60	57	1713	8	Yes	310	254	81.9355	1015	1003	98.8.7774	47	45	95.74468	Yes	Yes	Yes	3600000.00	दिनांगीय अनुदान समिति के निर्णय के आलोक में संबंधित संस्थान के वित्तव्यय प्रविष्टि का जांच प्रविष्टि प्राप्त होने तक स्थगित। Pending	परिचय पत्र की जांच प्रविष्टि प्राप्त होने के उपरांत निदेशालय में संबंधित संस्थान के प्रार्थन के साथ चुनवाई की गई है। संस्थान से आवश्यक अभिलेख की मांग निदेशालयीय पत्रांक-450 दिनांक-13.02.2026 द्वारा की गई है।	शाहीद भगत इंटर कॉलेज, जपला, पलामू के प्राप्त परिचय के संबंध में जाओपदा, पलामू के पत्रांक-319 दिनांक-02.03.26 के द्वारा संस्थान के दानदाता संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है, जो सही प्रविष्टि है।	Recommended								
Simdega	Gosner Inter College, Simdega	20210416808	General	JAC/7066/11 dt: 10-12-11	Yes	471	299	0	0	43	40	853	6	Yes	302	300	99.3377	0	0	0	30	28	93.333333	Yes	Yes	Yes		निदेशालय के पत्रांक-2875 दिनांक-28.10.2024 के द्वारा संस्थान की जांच प्रविष्टि, सिमडेगा, दओपदा, रांची से कराया गया। दओपदा, रांची के पत्रांक-872 दिनांक-23.11.2024 के द्वारा प्रविष्टि है कि संस्थान में मात्र दो शिक्षक बीएड प्रशिक्षित हैं एवं दोष अज्ञात है। उक्त परिचय की जांच हेतु निदेशालयीय पत्रांक-3380 दिनांक-08.09.2025 के द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा को संस्थान की जांच कर जांच प्रविष्टि हेतु पत्राचार किया गया है, जो संप्रति अप्राप्त है। अतः तत्काल स्थगित। Pending	जिला शिक्षा पदा, सिमडेगा के पत्रांक-1652 दिनांक-20.11.2025 के द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से जांच प्रविष्टि प्राप्त है। जांच प्रविष्टि में प्रविष्टि है कि यह महाविद्यालय लगभग 33 वर्षों से चलायित है और महाविद्यालय के शासी निकाय का गठन सचिव, झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची के पत्रांक-2384/24 दिनांक-23.09.2024 द्वारा किया गया है। इस महाविद्यालय में लगभग 1022 छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय का प्रत्येक वर्ष वैध है। महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मों को अध्ययन कार्य नियमित रूप से करा रहे हैं। महाविद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति एवं गरीब वर्ग के छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं।	जिला शिक्षा पदा, सिमडेगा के पत्रांक-260 दिनांक-06.03.2026 के द्वारा कार्यरत शिक्षकों के नियुक्ति एवं योग्यता संबंधी प्रविष्टि उपलब्ध कराया है, में प्रविष्टि है कि प्रवर्धित नियमन, 2005 के अनुसार संस्थान के द्वारा स्थायी प्रवर्धित की अन्य शर्तों को पूर्ण किये जाने की स्थिति में शिक्षकों के द्वारा बीएड की डिग्री प्राप्त करने हेतु अधिकतम 03 वर्षों का समय दिया जायेगा। इस अवधि की समाप्ति पर यदि संस्था के सभी नवनि्युक्त शिक्षक बीएड की योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो संस्था की प्रवर्धित स्वरूपा समझी जायेगी। साथ ही जैक के पत्रांक-2260 दिनांक-14.07.22 के अनुसार तीन वर्ष के अन्तर में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को बीएड योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य शर्त है।	Not Recommended								
Seraikela-Kharsawan	J.K.S.J.M. Inter College, Aderdih, Raghunathpur, Seraikela-Kharsawan	20201604207	General	JAC/1406/16 dt: 31-03-16	Yes	146	95	0	0	0	0	241	12	Yes	131	127	96.9466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	परिचय के द्वारा निर्गत शासी निकाय से संबंधित प्रविष्टि अनिल आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। अतः अस्वीकृत किया जा सकता है।	अनिल आवेदन के माध्यम से शासी निकाय गठन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।	संस्थान के पत्रांक-39/25 दिनांक-16.11.2025 द्वारा शासी निकाय पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त प्रविष्टि के आधार पर स्वीकृति हेतु दिनांगीय अनुदान समिति के साथ अनुशासित।	Students is less than as per norms. Not Recommended
Chatra	Upendra Nath Verma Inter College, Chatra	20030217402	General	JAC/5068/14 dt: 15-10-14	Yes	432	333	249	261	18	30	1323	8	Yes	146	140	95.8904	141	138	97.87234	20	20	100	No	No	Forwards		संस्थान के संबंध में प्राप्त परिचय का जांच प्रविष्टि अप्राप्त रहने के कारण तत्काल स्थगित। Pending	उपायुक्त, धरतर का पत्रांक-1241 दिनांक-11.09.2025 द्वारा प्रविष्टि है कि संस्थान का पूर्ण शासी निकाय गठन हेतु बैठक की गई है। पूर्ण शासी निकाय के गठन से संबंधित जानकारी अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त संस्थान अनुदान संबंधी मानक शर्तों को पूर्ण कराया है, प्रविष्टि है। इसके अतिरिक्त निदेशालयीय पत्रांक-454 दिनांक-08.12.2025 एवं पत्रांक-19 दिनांक-02.01.2026 के द्वारा अन्य जांच प्रविष्टि उपायुक्त, धरतर से अव तक अप्राप्त है।	उपेन्द्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज, धरतर का प्राप्त परिचय के संबंध में उपायुक्त, धरतर को निदेशालयीय पत्रांक-454 दिनांक-08.12.25, प्रथम पत्रांक-19 दिनांक-02.01.26 एवं द्वितीय चार पत्रांक-716 दिनांक-27.02.26 द्वारा जांच प्रविष्टि की मांग की गई है, जो संप्रति अप्राप्त है।	Not Recommended								
Total																										3600000.00													

(विजय नारायण)
अवर सचिव, वित्त विभाग
झारखण्ड, रांची।

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, माओ
झारखण्ड, रांची।

(समा शंकर सिंह)
सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, रांची।

16/03/26

पूर्व में विभागीय अनुदान समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अस्वीकृत मामले की सूची, जिसके संबंध में कोई अपील आवेदन प्राप्त नहीं है।

Name of District	Name of Inter Colleges	DISE Code	Inter College Category	Permanent Recognition Letter No. & Date	Whether College Managing Committee duly constituted?	Student Details (2024-25)						Total No. of Student	Whether the College is run by Registered Society/Trust under Society Registration Act 1860 Article-21?	Total No. of Student Registered in Session 2023-24 for Intermediate Examination in Arts	Not Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Total No. of Student Registered in Session 2023-24 for Intermediate Examination in Science	Not Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Total No. of Student Registered in Session 2023-24 for Intermediate Examination in Commerce	Not Passed Student (Annual + Compartmental)	Pass % of Student	Whether Board Fee has been furnished as per Act 2004	AYC Recommendation	Amount Admissible on the basis of performance in Intermediate Exam and according to Chapter 3 subpara (a)(ii) of Jharkhand State enabled educational Institution (grant) act 2004 (On the basis of Deptt Letter 2021 dated 28.07.24)	Reason for not sanctioning Grant-in-Aid in Ist Appeal for Financial Year 2024-25	Grounds of Appeal	Opinion of Secretary	Recommendation of Departmental Committee	
						Arts		Science		Commerce																				
						XI	XII	XI	XII	XI	XII																			
East Singhbhum	Shiyama Prasad Inter College, Khasmahal, Jamshedpur, East Singhbhum	20180313021	S7/SC Area	JAC/0429/07 dt. 19-07-07	Yes	366	350	243	354	232	296	1843	12	Yes	333	320	96.0961	186	154	82.795699	108	104	96.296296	Yes	Yes	Yes	0.00	सेकेण्ड्री, प्रारंभिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1361 दिनांक-25.10.2000 के द्वारा मासामी अल्पसंख्यक अनुदान द्वारा संचालित अल्पसंख्यक महाविद्यालय घोषित किया गया है तथा यह संस्थान कारखंड राज्य विस्तार चरित रैकॉमिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के तहत अनुदान लेने का दावा किये जाने के कारण विभागीय अनुदान समिति द्वारा सतीक्षोपचरित संचिका के माध्यम से मामले पर निर्णय हेतु प्रस्ताव उपस्थानित करने एवं निर्णय लिये जाने तक कमीशन आवेदन को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। Pending	विभागीय अनुदान समिति के समक्ष दिवारबंदी है।	शास्त्री विकास का अनुदान विहित कारखंड अधिनियम 2004 के अन्तर्गत किसी अन्य माध्यम से होने का प्रमाण नहीं रहने के कारण अनुदान अस्वीकृत। Not Recommended
Total																						0.00								

18/03/2026
(विजय नारायण)
अवर सचिव, वित्त विभाग
आरखण्ड, राँची।

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, मा०शि०
आरखण्ड, राँची।

(रमेश शंकर सिंह)
सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
आरखण्ड, राँची।